न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष संख्या–01, बुलन्दशहर।
उपस्थित धीरेंद्र कुमार–III (एच.जे.एस.) आई.डी. नं. UP6145

सत्र वाद संख्या–3600/2023
CNR No.UPBU0101-5334-202023

उत्तर प्रदेश राज्य
................अभियोजन पक्ष

बनाम

1. **विशाल पुत्र स्व. संजय चौधरी,**
2. **रजनी पत्नी स्व. संजय चौधरी,**

निवासीगण:– मौहल्ला आजमतारा, कस्बा व थाना बी.बी.नगर, जिला बुलन्दशहर।
.....................अभियुक्तगण

मु०अ०सं०	:–	17/2023
अन्तर्गत धारा	:–	304,388 भा.दं.सं.
धारा	:–	3/25, 9 सपठित धारा 25(9), 30 आयुद्ध अधिनियम
थाना	:–	बी.बी.नगर
जनपद	:–	बुलन्दशहर

–:निर्णय:–

1. प्रस्तुत **सत्र वाद संख्या–3600/2023,** राज्य बनाम विशाल आदि, मु.अ.सं.–17/2023, थाना बी.बी.नगर, जिला बुलन्दशहर में अभियुक्त विशाल का विचारण धारा–304,388 भा.दं.सं. व धारा 3/25, 9 सपठित धारा 25(9) आयुद्ध अधनियम तथा अभियुक्ता रजनी देवी का विचारण धारा–30 आयुद्ध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिये किया गया।

2. **अभियोग सारणीः–**

शिकायतकर्ता	देवेंद्र शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा, मौ. आजमतारा, कस्बा बी.बी.नगर, जिला बुलन्दशहर
अभियोजन पक्ष की ओर से	श्री राजीव मलिक, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), बुलन्दशहर
अभियुक्तगण की ओर से	श्री रुकन सिंह पायल, विद्वान अधिवक्ता
अंतर्गत धारा	304,388 भा.दं.सं. व धारा 3/25, 9 सपठित धारा 25(9), 30 आयुद्ध अधिनियम
मु०अ०सं०	17/2023
पुलिस थाना	बी.बी.नगर
जिला	बुलन्दशहर

Addl. Sessions Judge,
Court No. 01, Bulandshahr.

Digitally signed by DHIRENDRA KUMAR
Date: 2026.07.14 17:15:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अपराध की तिथि व समय	05.02.2023, समय 15.30 बजे
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि व समय	05.02.2023, समय 21.53 बजे
आरोपपत्र प्रेषित किये जाने की तिथि	25.03.2023
प्रेषित आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान की तिथि	01.04.2023
प्रकरण सत्र न्यायालय सुपुर्दगी की तिथि	10.10.2023
आरोप विरचन की तिथि	21.11.2023
अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत करने की तिथि	21.03.2024–25.05.2026
बयान अंतर्गत धारा–313 दं.प्र.सं.	29.04.2026, 18.06.2026
अंतिम बहस की तिथि	06.07.2026
निर्णय पारित किये जाने की तिथि	14.07.2026

3. वादी मुकदमा देवेंद्र शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा, मौ. आजमतारा, कस्बा बी.बी.नगर, जिला बुलन्दशहर ने एक लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 थाना बी.बी.नगर, जिला बुलन्दशहर पर इस आशय की प्रस्तुत की किः– "दिनांक–05.02.2023 दिन रविवार को हमारे मौ. आजमतारा, कस्बा बी.बी. नगर के रहने वाले दीपक चौधरी पुत्र स्व. श्री संजय चौधरी का उनके निजी स्थल मौ. चौक (निकट सरस्वती विद्या मंदिर) बी.बी. नगर पर सगाई समारोह का आयोजन था। उक्त कार्यक्रम में मेरा पुत्र शरद शर्मा उर्फ लाला उम्र लगभग 22 वर्ष शामिल होने गया था। दीपक चौधरी उपरोक्त के भाई विशाल पुत्र स्व. संजय चौधरी, निवासी मौ. आजमतारा, कस्बा बी.बी.नगर, जिला बुलन्दशहर जिनके पास लाइसेंसी डी.बी.बी.एल. गन है, ने उपरोक्त कार्यक्रम में समय लगभग 03.30 पी.एम. पर डी.बी.बी.एल. लाइसेंसी गन से हर्ष फायरिंग की, जिसमें मेरे बेटे शरद शर्मा उर्फ लाला व राजकुमार पुत्र श्री ऋषिपाल, निवासी अलीगढ को गोली लग गयी। मेरे बेटे की मृत्यु हो गयी है, राजकुमार घायल हुआ है। रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करने की प्रार्थना की गयी।"

4. उपरोक्त तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना हाजा पर चिक एफ.आई.आर. प्रदर्श क–2 किता की गयी, जिसका खुलासा कायमी मुकदमा जी.डी. प्रदर्श क–3 में किया गया। मृतक शरद शर्मा की शव परीक्षण आख्या प्रदर्श क–4 डॉक्टर शलभ भारती द्वारा तैयार की गयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा फर्द बरामदगी के आधार पर धारा–3/25(9)/30 आयुद्ध अधिनियम की बढोत्तरी की गयी। वादी मुकदमा की निशानदेही पर मौके का नक्शा–नजरी प्रदर्श क–6 तैयार किया गया तथा बाद विवेचना अभियुक्त विशाल के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए धारा–304, 388 भा.दं.सं. व धारा–3/9/25(9) आयुद्ध अधिनियम तथा अभियुक्ता रजनी देवी के विरूद्ध धारा–30 आयुद्ध अधिनियम के अधीन आरोपपत्र संख्या–36/23 प्रदर्श क–7 तैयार कर न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. विवेचक द्वारा प्रेषित किये गये आरोपपत्र पर विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं.–9, बुलन्दशहर के न्यायालय में प्रसंज्ञान लिया गया, जिसे फौजदारी वाद संख्या–289/2023 के रूप में दर्ज किया गया तथा आदेश दिनांकित–10.10.2023 के माध्यम से विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं.–9, बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्तगण विशाल एवं रजनी देवी का मामला अनन्य रूप से सत्र परीक्षणीय पाते हुए विद्वान सत्र न्यायालय

के सुपुर्द किया गया, जो सत्र वाद संख्या–3600/2023, राज्य बनाम विशाल आदि के रूप में पंजीकृत हुआ।

6. विद्वान सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर द्वारा दिनांक–21.11.2023 को अभियुक्त विशाल के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा–304,388 भा.दं.सं. व धारा 3/25, 9 सपठित धारा 25(9) आयुद्ध अधिनियम तथा अभियुक्ता रजनी देवी के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा–30 आयुद्ध अधिनियम विरचित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त धारा में विरचित आरोपों से इंकार किया गया तथा विचारण की मांग की गयी।

7. **<u>अभियोजन का मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्यः–</u>**

क्र. सं.	नाम साक्षी	साक्षी का विवरण	अभियोजन साक्षी संख्या	दस्तावेज अथवा वस्तु	प्रपत्र जिन्हें प्रदर्श के रूप में साबित किया गया
1.	देवेंद्र कुमार शर्मा	तथ्य साक्षी/ वादी मुदकदमा	पी.डब्लू.1	तहरीर	प्रदर्श क–1
2.	शैलेंद्र कुमार	तथ्य साक्षी	पी.डब्लू.2	–	–
3.	कॉ. भगमल सिंह	औपचारिक साक्षी	पी.डब्लू.3	चिक एफ.आई.आर. कायमी जी.डी.	प्रदर्श क–2 प्रदर्श क– 3
7.	डॉ. शलभ भारती	चिकित्सा साक्षी	पी.डब्लू.4	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श क–4
8.	उपनिरीक्षक राजकुमार मिश्रा	औपचारिक साक्षी	पी.डब्लू.5	फर्द बरामदगी नक्शा नजरी आरोपपत्र चिट्ठी सी.एम.ओ., फोटो लाश, चालान लाश, नमुना मुहर, चिट्ठी प्रतिसार सील बंद कपड़ा, दूसरा कपड़ा, डी.बी.बी.एल. गन गन लाईसेंस पारदर्शी पॉलिथीन खोखा कारतूस,	प्रदर्श क–5 प्रदर्श क–6 प्रदर्श क–7 प्रदर्श क–9 प्रदर्श क–10 प्रदर्श क–11 प्रदर्श क–12 प्रदर्श क–13 वस्तु प्रदर्श–1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

8. अभियोजन की ओर से उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य पूर्ण के होने के पश्चात् अन्य कोई साक्षी परीक्षित कराने से इन्कार किया गया।

9. **अभियुक्तगण विशाल एवं रजनी देवी का बयान अंतर्गत धारा–313 दं.प्र.सं.** अंकित किया गया। अभियुक्तगण विशाल एवं रजनी देवी के द्वारा बयान अंतर्गत धारा–313 दं.प्र.सं. में अभियोजन कथानक को गलत बताया है और अभियुक्ता रजनी देवी ने

स्वयं को लाइसेंसी धारक बताया और बंदूक को थाना हाजा की पुलिस द्वारा ले जाना बताया तथा तहरीर गलत व एफ.आई.आर. एंटीटाईम दर्ज होना बताते हुए गलत तथ्यों पर आरोपपत्र प्रेषित करना बताया है तथा अभियुक्त विशाल ने बंदूक अपने कब्जे से बरामद न होना बताया है और थाना हाजा की पुलिस के द्वारा ले जाना बताते हुए रंजिशन मुकदमा चलने का कथन कर सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया और कुछ कहना में कथन किया है कि हम निर्दोष हैं। घटना के दिन बंदूक से कोई फायर नहीं हुआ और घटना के बाद बंदूक पुलिस ने बंदूक अपने कब्जे में लेकर थाना बी.बी.नगर पर फायर करके गलत इस्तेमाल होना दिखाया है।

10. **विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किया गया।**

11. प्रस्तुत प्रकरण में मृतक शरद शर्मा की शव परीक्षण आख्या प्रदर्श क–4 के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें उसके शरीर पर चोट नं.1– आग्नेयास्त्र के घुसने का घाव 2cmx3.5cm आकार का सीधे कान के 2cm पीछे टेमपोरल बोन में पाया गया। चोट नं.2– आग्नेयास्त्र के निकलने की चोट 6.cmx3cm आकार की सिर के पीछे 4cm कान के नीचे पायी गयी।

12. अब न्यायालय को इस तथ्य पर विचार करना है कि क्या अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक–05.02.2023 को समय 15.30 बजे अभियुक्त विशाल द्वारा अपनी माँ/अभियुक्ता रजनी देवी की लाईसेंसी डी.बी.बी.एल. गन 12 बोर से 21 वर्ष से कम आयु में हर्ष फायरिंग की गयी और उक्त फायरिंग की गोली से राजकुमार को घायल कर जीवन संकटापन्न किया और उक्त फायरिंग से शरद शर्मा उर्फ लाला की मृत्यु कारित की गयी तथा विशाल की जामा तलाशी से एक अदद लाईसेंसी डी.बी.बी.एल. गन 12 बोर व दो खोखा फंसे हुए बरामद हुए?

13. इस संबंध में अभियोजन की तरफ से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.1 देवेंद्र कुमार शर्मा**, ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि "मैं खेती करता हूँ। घटना दिनांक–05.02.2023 की है। मेरे बेटे शरद शर्मा के दोस्त दीपक चौधरी, निवासी बी.बी.नगर का सगाई समारोह था। मेरा बेटा शरद शर्मा समारोह में गया हुआ था। वहाँ पर उसके गोली लग जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर मैं अस्पताल में पहुंचा था। मैं मौके पर नहीं था। इसलिए मुझे नहीं पता कि किसकी गोली मेरे बेटे शरद शर्मा को लगी थी। अस्पताल में ही मेरे बेटे शरद की मृत्यु हो गयी थी। साक्षी को का.सं.–4A/4 हस्तलिखित दिखायी गयी व पढ़कर सुनायी गयी तो साक्षी ने कहा कि इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। उस पर प्रदर्श क–1 डाला गया, क्योंकि मैं मौका–ए–वारदात पर मौजूद नहीं था। इसलिए मैं नहीं बता सकता कि मैं बेटे शरद को किसकी गोली लगी थी।"

14. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.2 शैलेंद्र कुमार,** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि "घटना दिनांक–05.02.2023 की है। मैं थाना बी.बी. नगर में अपने मित्र के साथ गया था। पत्रावली पर गवाह को प्रदर्श क–1 दिखाया तो गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर है, जो मैंने दिनांक–05.02.2023 को घटना की बाबत लिखी थी। यह मेरे लेख में है। उस समय थाने पर काफी लोग मौजूद थे, देवेंद्र

शर्मा भी वहाँ पर मौजूद था। काफी लोग एकत्रित थे। थाने में पुलिस वाले के बोलने पर मैंने यह तहरीर लिखी थी। घटना के समय मैं घटना स्थल पर मौजूद नहीं था।"

15. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.3 कॉ. 1267 भागमल सिंह,** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि "दिनांक–05.02.2023 को मैं थाना बी.बी.नगर पर सी.सी. के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा वादी देवेंद्र शर्मा की तहरीर बाबत अभियुक्त विशाल पुत्र स्व. संजय चौधरी द्वारा लाईसेंसी डी.बी.बी.एल. गन से हर्ष फायर करने से वादी के पुत्र शरद शर्मा की गोली लग जाने के कराण मृत्यु हो के संबध में दाखिल की। तहरीर के आधार पर मेरे द्वारा मु.अ.सं.17/2023, धारा–304,338 भा.दं.सं. की नकल चिक एफ.आई.आर. कम्प्यूटर पर स्वयं किता की थी। मेरे द्वारा किता की गयी एफ.आई.आर. पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर प्रभारी अधिकारी के थानाध्यक्ष के हस्ताक्षर हैं, इस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। इस मुकदमे का खुलासा जी.डी. नं.53 दिनांक–05.02.2023 को समय 21.53 बजे मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर किया गया था। जी.डी. मेरे द्वारा किता की गयी, जो पत्रावली पर मौजूद है, इस पर प्रदर्श क–3 डाला गया।"

16. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.4 डॉक्टर शलभ भारती,** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि "दिनांक–05.02.2023 को मैं बाबू बनारसीदास चिकित्सालय, बुलन्दशहर में पोस्टमार्टम ड्यूटी में तैनात था। उसी दिनांक को मुझे 0840PM पर मृतक शरद शर्मा पुत्र देवेंद्र शर्मा निवासी मौ. आजमतारा थाना बी.बी.नगर, जिला बुलन्दशहर उम्र 22 वर्ष पुरुष का शव प्राप्त हुआ, जिसे कॉस्टेबल योगेश कुमार व पी.आर.डी. जवान हरीश चंद्रा थाना बी.बी.नगर लेकर आये थे। शव की शिनाख्त साथ आये पुलिस कर्मचारी व मृतक के मामा सोनू ने की थी। मृतक सामान्य मध्यम अच्छी कद–काठी का था, जिसकी लम्बाई पांच फीट आठ इंच थी। मृतक के शव पर एक शर्ट, एक पेंट, एक कच्छा हाथ में एक कलावां बंधा था। मृतक के शरीर पर मृत्यु पश्चात् अकड़न ऊपरी हिस्से पर मौजूद थी। आंख, मुंह बंद थे। मृतक को मृत्यु पूर्व आयी चोटेंः– 1. आग्नेयास्त्र के घुसने का घाव जिसका आकार 2cmx3.5cm जो सीधे कान के जस्ट पीछे 02.cm, कान के पीछे जो टेमपोरल बोन में स्थित थी। चोट नं.2– आग्नेयास्त्र के निकलने की चोट का आकार 6.cmx3cm सिर के पीछे 4cm कान के नीचे था। चोट को खोलने पर दायीं टेमपोरल बोन में फ्रेक्चर पाया गया था। ब्रेन मेटल फटा हुआ था और उल्टी टेमपोरल व ऑक्सीपिटल बोन फ्रेक्चर थी। चोट के किनारे नीचे की ओर थे। आंतरिक परीक्षण– सिर नोटिड, नेक नोटिड, चेस्ट एन.ए.डी. फेफड़े पेल थे। हृदय खाली था। उदर एन.ए.डी. आमाशय में 100ML अधपचा खाना मौजूद था। पिताशय हाफ–फुल था, स्प्लीन पेल थी। गुर्दे पेल थे। मृत्यु का संभावित समय 1/4 दिन था। मृत्यु का कारण शोक एण्ड हैमरेज वजह मृत्यु पूर्व आयी चोटें। मृतक को आयी चोटे मृत्यु के लिये पर्याप्त थी। पोस्टमार्टम करते समय द्वितीय राय के लिये डॉ. रवि शर्मा सी.एच.सी. पहासू मेरे साथ मौजूद थे। पोस्टमार्टम मेरे द्वारा दिनांक–05.02.2023 को 09.52PM पर प्रारम्भ कर 11.25PM पर पूर्ण किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट संख्या–99/23 मेरे द्वारा तैयार की गयी जो पत्रावली पर का.सं.–12A/1 लगायत 12A/3 है। इस पर मेरे हस्ताक्षर है और मेरे लेख में है। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर प्रदर्श क–4 डाला गया।"

17. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.5 उपनिरिक्षक राजकुमार मिश्र,** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि "दिनांक–05.02.2023 को मैं थाना बी.बी. नगर पर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन मुझे नकल रपट प्राप्त हुई, जिसमें दिनांक–05.02.2023 को समय 17:40 बजे हस्ब सूचना बाबत मौहल्ला आजमतारा में दीपक के यहाँ कार्यक्रम के दौरान हर्ष फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई है। मैं, उपनिरीक्षक मय प्रभारी श्री पटनीश महोदय के घटना स्थल पर पहुँचा और विवेचना प्रारम्भ मुकदमा अपराध संख्या–17/2023, धारा 304 एवं 338 भारतीय दंड संहिता की विवेचना में नकल चिक, नकल रपट तथा मुकदमा वादी देवेंद्र शर्मा का बयान अंकित किया गया। देवेंद्र शर्मा ने बताया कि दीपक चौधरी के कार्यक्रम में मेरा पुत्र शरद शर्मा शामिल होने गया था। वहाँ पर दीपक चौधरी के भाई विशाल कुमार पुत्र संजय चौधरी, निवासी मो. आजमतारा, कस्बा एवं थाना बी.बी. नगर द्वारा की गई फायरिंग से मेरे पुत्र शरद शर्मा को गोली लग गई, जिससे मेरे बेटे की मृत्यु हो गई और राजकुमार घायल हो गया। मुकदमा वादी की निशानदेही घटनास्थल की आवश्यक कार्यवाही की गई। इसके उपरांत मुकदमे के अभियुक्त विशाल के मकान पर दबिश दी गई, किन्तु वह नहीं मिला। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर दबिश दी गयी। मुखबिर की सूचना पर दिनांक–06.02.2023 को समय 03:45 बजे मैं उपनिरीक्षक मुकदमा अपराध संख्या–17/2023 के अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु मामूर था। मुकदमा अपराध संख्या–17/2023 के अभियुक्त मुखबिर की सूचना पर सटला चौराहे के पास से हमराही पुलिस की मदद से एक व्यक्ति अलाबास बातरी रोड भट्टा के सामने समय 00.50 बजे गिरफ्तार किया। पकड़े गए अभियुक्त ने अपना नाम विशाल कुमार पुत्र संजय चौधरी, निवासी मोहल्ला आजमतारा, कस्बा एवं थाना बी.बी. नगर बताया। उसकी जामा तलाशी से एक अदद डी.बी.बी.एल. गन 12 बोर बरामद हुई। बंदूक को खोलकर देखा तो उसमें दो खोखा कारतूस शक्तिमान 12 एक्प्रेस लिखा है तथा दो खोखा कारतूस नाल में फंसे हैं तथा जेब से एक लाईसेंस मिला जो कटुआ का बना हुआ है तथा एक बेज पर लाईसेंसी के श्रीमती रजनी देवी पत्नी संजय कुमार के नाम पर उक्त लाईसेंस पर लिखा है। स्थानांतरण होने का नाम लिखा है। नीचे ए.डी.एम. कटुआ की मोहर व हस्ताक्षर अंकित है। गन का हुलिया फर्द मुताबिक है। पकड़े गये व्यक्ति से गन व लाईसेंस रखने का कारण पूछा तो वह माफी मांगने लगा और कहने लगा कि यह गन मेरी माँ के नाम पर है। आज मेरे भाई दीपक की शादी का सिक्का था, जिसमें मेरे द्वारा खुशी–खुशी फायरिंग की जा रही थी। धोखे से एक गोली चल गई तो तिलक समारोह में शरद शर्मा पुत्र लाला के लग गई तथा मेरे भाई के दोस्त राजकुमार शर्मा लग गई, जिसमें शरद शर्मा की मौके पर ही मृत्यु हो गई और राजकुमार घायल हो गया। मैं वहाँ से गन लेकर भाग आया। छिपाने की फिराक में था। आपने मुझे पकड़ लिया। अभियुक्त को उसके जुर्म से अवगत कराते हुए धारा–304, 338 भारतीय दंड संहिता व धारा–3/25(9) आयुध अधिनियम से अवगत कराते हुए पुलिस हिरासत में लिया गया। मौके पर बरामद माल बंदूक व खोखा कारतूस को सील सर्व मुहर की गयी व फर्द पढ़कर सुनाकर उसको एक कापी दी गयी और उसके हस्ताक्षर कराये गये तथा हमराह व मैंने फर्द पर हस्ताक्षर किये। धारा–30 आ.अधि. में प्रचलित रहेगी। दिनांक–04.03.2023 को मेरे द्वारा विवेचना में एफ.आई.आर. लेखक के बयान अंकित किये व वादी की निशानदेही पर

घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया, जो पत्रावली पर मौजूद है। जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। उसी दिन तहरीर के लेखक शैलेंद्र कुमार के बयान उसके मसकन पर जाकर अंकित किये। बयान में उसके द्वारा तहरीर का समर्थन किया गया। उसी दिन फील्ड यूनिट टीम की निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसकी नकल सी.डी. में की गयी व नकल पंचायत मृतक शरद शर्मा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट नकल संलग्न सी.डी. की गयी। उसी दिन फील्ड यूनिट द्वारा की सी.डी. संलग्न सी.डी. की गयी। माल मुकदमा कॉ. मोहित ढाका द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 1367/BAL व 1368/BAL/23 पर दिनांक–23.02.2023 को दाखिल किया गया। जिसका अवलोकन कर संलग्न सी.डी. किया गया। दिनांक–06.03.2023 को अभियुक्त रजनी के मसकन पर दबिश दी गयी तो नहीं मिली। मजीद बयान देवेंद्र शर्मा व बयान पंच प्रदीप, कलुआ आदि सी.डी. में किये गये। दिनांक–14.03.2023 को मजरूब राजकुमार ऋषिपाल निवासी नगला श्यौराम थाना खैर जनपद अलीगढ के बयान अंकित किये गये। अभियुक्ता रजनी का रोबकार सरेंडर प्राप्त हुआ, नकल सी.डी. किया गया। अभियुक्ता रजनी देवी के मकान पर महिला कॉ. अनुराधा के साथ जाकर अभियुक्त के बयान लिये गये और बयान संलग्न सी.डी. किये गये। उसी दिनांक को मेरे द्वारा मु.अ.स.–17/2023 में अभियुक्त विशाल पुत्र संजय के विरूद्ध धारा–304,338 भा.दं.सं. व धारा–3/9/25(9) आ.अधि. में तथा अभियुक्ता रजनी देवी पत्नी संजय कुमार के विरूद्ध धारा–30 आ.अधि. में आरोपपत्र सं.–36/23 दिनांक–25.03.2023 को न्यायालय में प्रेषित किया गया। मेरे द्वारा प्रेषित आरोपपत्र पत्रावली पर उपलब्ध है। आरोपपत्र पर प्रदर्श क–7 डाला गया। दिनांक–05.02.2023 को समय 17.50 बजे मेरे द्वारा हस्ब सूचना मौखिक हरेंद्र निवासी आजमतारा की सूचना पर दीपक के यहाँ उक्त घटना में गोली लग जाने के कारण शरद शर्मा की मृत्यु हो जाने के बाद सी.एच.सी. बी.बी.नगर परिसर में कॉ. योगेश व पी.आर.डी. हरीशचंद्र को लेकर पहुंचा और पंचायतनामा में मशरूफ हुआ। मौके पर मौजूद परिजनों में से नियुक्त पंच किये गये। पंचायतनामा में मेरे द्वारा मृतक शरद शर्मा के शव की स्थिति शव का हुलिया शव पर पहने हुए कपड़े व शव को उलट–पटल कर उसके शरीर पर आयी चोटे अंकित की गीय। मौके पर नियुक्त पंच देवेंद्र शर्मा, प्रदीप, कलुआ, कृष्ण कुमार, अजय कुमार की राय लेकर मुझ उपनिरिक्षक की राय व पंचों की राय एक दूसरे से इत्फाक रखते हुए शव को सील सर्व मुहर कर कॉ. योगेश व हरीश चंद्र के सुपुर्द किया गया। पंचायतनामा मेरे द्वारा अपने लेख व हस्ता में तैयार किया गया। उस पर पंचों के हस्ताक्षर कराये गये और उस पर मैंने अपने हस्ताक्षर किये। पत्रावली पर का.सं.11A/2 व 11A/3 मौजूद है, जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। चिट्ठी सी.एम.ओ., फोटोलाश, चालान लाश, नमुना मुहर, चिट्ठी प्रतिसार, पर क्रमशः प्रदर्श क–9,10,11,12,13 डाले गये। न्यायालय के आदेश से एक सील बंद पुलिंदा खोला गया। जिसके कपड़े पर पत्रांक–269/BAL/1367/23L/W270/ BAL/1368/23, मु.अ.सं.17/23 बनाम विशाल लिखा है, को खोलने पर पारदर्शी पिन्नी में से एक लाइसेंस, छः खोखा कारतूस 12 बोर निकले जो दूसरे कपड़े के अंदर से निकले। सील बंद कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–1 दूसरे कपड़े पर 1367/BAL/23 लिखा है, पर वस्तु प्रदर्श–2 डाला गया। इस कपड़े पर मुल्जिम विशाल के हस्ताक्षर हैं और मेरे हस्ताक्षर हैं। डी.बी.बी.एल. बंदूक पर वस्तु प्रदर्श 3 डाला गया। व गन लाइसेंस पर वस्तु प्रदर्श–4,

गन लाईसेंस पर रजनी व संजय कुमार फोटो लगा है, जिस पर एनीथनल एस.पी. कटुआ लिखा है, एक पिन्नी से निकले छः कारतूस जिस पर 269/BAL/1367/23L /W270/BAL/1368/23 BSR लिखा है। पारदर्शी पोलिशीन पर वस्तु प्रदर्श–5 डाला गया। खोखा कारतूसों BC–1 पर वस्तु प्रदर्श–6 व BC–2 पर वस्तु प्रदर्श–7 डाला गया। TC–1 पर वस्तु प्रदर्श–8, TC–2 पर वस्तु प्रदर्श–9, TC–3 पर वस्तु प्रदर्श–10 व TC–4 पर वस्तु प्रदर्श–11 डाला गया। न्यायालय में मौजूद माल वही माल मुकदमा है, जो फर्द से माल सील सर्व मुहर किया गया था।

18. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.6 राजकुमार,** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि " मैं दिनांक–05.02.2023 को मेरे रिश्तेदार दीपक चौधरी की सगाई में कस्बा बी.बी.नगर गया हुआ था। समय करीब 03.30 शाम सगाई का प्रोग्राम चल रहा था। वहां उपस्थित लोगों में से दूर से पीछे से फायर किया था, फायर करने वाले तीन–चार लड़के थे, जिनके पास बंदूक व तमंचे थे। फायर की गोली बी.बी.नगर के एक लड़के को लगी थी, शोर शराबा होने पर गोली चलाने वाले लड़के मौके से भाग गये थे। इस घटना में मेरे कोई चोट नहीं लगी थी। दीपक की मां रजनी के नाम दो नाली बंदूक है, लेकिन सगाई समारोह में उसकी बंदूक नहीं थी।"

19. पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से तथ्य के साक्षीगण के रूप में पी.डब्लू.1/वादी मुकदमा देवेंद्र कुमार शर्मा, पी.डब्लू.2 शैलेंद्र कुमार, पी.डब्लू.3 भागमल सिंह एवं पी.डब्लू.6/चुटैल राजकुमार को परीक्षित कराया गया है। पी.डब्लू.1 देवेंद्र कुमार शर्मा प्रस्तुत प्रकरण का मुकदमा वादी है, जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा बयान में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है, बल्कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट के विपरीत कथन किया कि "मैं खेती करता हूँ। घटना दिनांक–05.02.2023 की है। मेरे बेटे शरद शर्मा के दोस्त दीपक चौधरी, निवासी बी.बी.नगर का सगाई समारोह था। मेरा बेटा शरद शर्मा समारोह में गया हुआ था। वहाँ पर उसके गोली लग जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर मैं अस्पताल में पहुंचा था। मैं मौके पर नहीं था। इसलिए मुझे नहीं पता कि किसकी गोली मेरे बेटे शरद शर्मा को लगी थी। अस्पताल में ही मेरे बेटे शरद की मृत्यु हो गयी थी।" इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त गवाह ने अपने बयान में अभियुक्त के द्वारा कथित घटना कारित किये जाने से स्पष्ट इन्कार किया गया है तथा स्वयं का घटना स्थल पर होने से भी इन्कार किया है। इसी प्रकार पी.डब्लू.2 शैलेंद्र कुमार जो कि तहरीर लेखक है, ने भी अभियोजन कथानक का लेशमात्र भी समर्थन अपनी मुख्य परीक्षा में ही नहीं किया गया है, बल्कि उसके विपरीत कथन किया है कि "घटना दिनांक–05.02.2023 की है। मैं थाना बी.बी. नगर में अपने मित्र के साथ गया था। पत्रावली पर गवाह को प्रदर्श क–1 दिखाया तो गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर है, जो मैंने दिनांक–05.02.2023 को घटना की बाबत लिखी थी। यह मेरे लेख में है। उस समय थाने पर काफी लोग मौजूद थे, देवेंद्र शर्मा भी वहाँ पर मौजूद था। काफी लोग एकत्रित थे। थाने में पुलिस वाले के बोलने पर मैंने यह तहरीर लिखी थी। घटना के समय में घटना स्थल पर मौजूद नहीं था।" इस प्रकार पी.डब्लू.2 शैलेंद्र कुमार के द्वारा अपने बयान में स्वयं का घटना स्थल पर होने से इन्कार किया गया है तथा उक्त साक्षी मात्र तहरीर लेखक है, उसने पुलिस वालों के बोलने पर तहरीर लिखना बताया है। इसी प्रकार पी.डब्लू.6 राजकुमार जो कि प्रस्तुत प्रकरण का एक

महत्वपूर्ण साक्षी है, क्योंकि उसी के साथ अभियुक्त द्वारा कथित घटना कारित किये जाने का अभियोजन कथानक है, के द्वारा भी अभियोजन कथानक का लेशमात्र भी समर्थन अपनी मुख्य परीक्षा में ही नहीं किया गया है, बल्कि उसने अपने बयान में कथन किया है कि "मैं दिनांक–05.02.2023 को मेरे रिश्तेदार दीपक चौधरी की सगाई में कस्बा बी.बी.नगर गया हुआ था। समय करीब 03.30 शाम सगाई का प्रोग्राम चल रहा था। वहां उपस्थित लोगों में से दूर से पीछे से फायर किया था, फायर करने वाले तीन–चार लड़के थे, जिनके पास बंदूक व तमंचे थे। फायर की गोली बी.बी. नगर के एक लड़के को लगी थी, शोर–शराबा होने पर गोली चलाने वाले लड़के मौके से भाग गये थे। इस घटना में मेरे कोई चोट नहीं लगी थी। दीपक की मां रजनी के नाम दो नाली बंदूक है, लेकिन सगाई समारोह में उसकी बंदूक नहीं थी।" इस प्रकार पी.डब्लू.6 राजकुमार के द्वारा अपने बयान में अभियुक्त के द्वारा फायरिंग करने से इन्कार किया है तथा अन्य लोगों के द्वारा दूर पीछे से फायर करना बताया है और स्वयं को उक्त घटना में फायरिंग से कोई चोट कारित नहीं होना बताया है, जबकि अभियोजन के द्वारा उसे कथित घटना में चोटिल होना दर्शित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में पी.डब्लू.3 कॉ.1267 भागमल सिंह चिक एफ.आर.लेखक हैं तथा पी.डब्लू.4 डॉक्टर शलभ भारती प्रस्तुत प्रकरण में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर हैं एवं पी.डब्लू.5 उपनिरीक्षक राजकुमार मिश्रा प्रस्तुत प्रकरण के विवेचक हैं। इस प्रकार उपरोक्त तीनों साक्षीगण औपचारिक साक्षी हैं तथा घटना के समर्थन में अभियोजन की ओर से तथ्य के साक्षीगण के रूप में जो भी साक्षी परीक्षित कराये गये हैं, उनके द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन अपनी साक्ष्य के माध्यम से नहीं किया है।

20. अभियुक्त विशाल के विरूद्ध धारा–3/25 व धारा–9 सपठित धारा–25(9) आयुद्ध अधिनियम व अभियुक्ता रजनी देवी के विरूद्ध धारा–30 आयुद्ध अधिनियम के अधीन भी आरोप विरचित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में फर्द बरामदगी के अनुसार दिनांक–06.02.2023 को मैं उपनिरिक्षक राजकुमार मिश्रा रवानाशुदा रो.आम दिरोजा मय हस्व तलब है. कॉ. 115 विजय पारासर व कॉ. 1876 योगेश कुमार वास्ते शांति व्यवस्था देख–रेख रात्रि गस्त व तलाश वांछित अपराधी कस्बा बी.बी.नगर में मामूर थे कि मुखबिर खास सूचना मिली कि मु.अ.सं.17/23, धारा–304, 338 भा.दं.सं. थाना बी.बी.नगर निवासी मो. आजमतारा कस्बा थाना बी.बी.नगर विशाल पुत्र स्व. संजय कुमार सतला चौराहे के पास भट्टा पर कहीं जाने की फिराक में खड़ा है। अगर जल्दी की जाये तो पकड़ा जा सकता है। हम पुलिस वालों ने मुखबिर खास की बात पर विश्वास करके मुखबिर के बताये स्थान पर मुखबिर को साथ लेकर चल दिये जैसे ही हम पुलिस वाले मय मुखबिर के सतला चौराहे के पास ही रूकबाकर गाड़ी की रोशनी में जो व्यक्ति अलाबास बातरी रोड पर भट्टा के सामने जो व्यक्ति खड़ा है, वही व्यक्ति है। हम पुलिस वालों को इसारा करके मुखबिर खास चला गया। हम पुलिस वालों ने अपने प्राइवेट वाहन को वहीं खड़ा करके छिपाते–छिपाते भट्टा के पास पहुंचे। हम पुलिस वालों को देखकर यह व्यक्ति सकपकाया और भट्टा के अंदर की तरफ चलने लगा। हम पुलिस वालों ने रूकने को कहा और तेज चलने लगा हम पुलिस वालों ने इस व्यक्ति को अलाबास बातरी रोड से भट्टा की तरफ लगभग 20 कदम दूरी पर घेर घोट कर पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो इस व्यक्ति ने अपना नाम

विशाल पुत्र स्व. संजय कुमार निवासी मो. आजमतारा कस्बा थाना बी.बी.नगर जिला बुलन्दशहर बताया। इसकी जामा तलाशी ली गयी तो दाहिने हाथ में एक अदद डी.बी.बी.एल. बंदूक 12 बोर बरामद हुई, जब बंदूक को खोल कर देखा उसमें दो अदद खोखा शक्तिमान 12 एक्प्रेस पेंदी पर लिखा है। जो दो नाली बंदूक की नाल में फंसे हैं व जेब से एक लाइसेंस जो जिला कट्ठाआ से स्वीकृत है, जिसका लाइसेंस नं.–DMK/203–04/1131 NO.3188097N –SEP संजय कुमार पुत्र जगपाल सिंह, निवासी बी.बी.नगर, जिला बुलंदशहर लिखा है। दिनांक–12.02.2004 को स्वीकृत है तथा एक पेज पर लाइसेस के श्रीमती रंजनी देवी पत्नी संजय कुमार के नाम पर उक्त शस्त्र लाइसेंस संजय कुमार की मृत्यु होने के कारण रजनी देवी के नाम स्थानांतरण होने का विवरण अंकित है। जिस पर नीचे ए.डी.एम. कठुआ की मुहर व अपठनी हस्ताक्षर है व उक्त लाइसेंस दिनांक–13.04.2022 तक रिनुअल होने का विवरण अंकित है। बरामद हुआ। बरामद बंदूक डी.बी.बी.एल. गन 12 बोर की हुलिया अंदर फर्द है। पकड़े गये व्यक्ति से गन व लाइसेंस रखने का कारण पूछा तो माफी मांगते हुए बताया कि उक्त गन मेरे माँ के नाम पर स्वीकृत है। आज मेरे भाई दीपक की शादी थी व सिक्का था, जिसमें मेरे द्वारा खुशी–खुशी में फायरिंग की जा रही थी कि धोखे से एक गोली चल गयी, जो मेरे भाई के तिलक समारोह में उपस्थित शरद शर्मा उर्फ लाला पुत्र देवेंद्र शर्मा व मेरे भाई दोस्त राजकुमार पुत्र ऋषिपाल निवासी नगला श्यौराम, थाना खैर, जिला अलीगढ के लग गयी, जिससे शरद शर्मा की मौत हो गयी व राजकुमार घायल हो गया, मैं वहाँ से गन लेकर भाग आया। अब मैं छिपने के लिये जाने की फिराक में था। आपने मुझे पकड़ लिया। अभियुक्त को उसके जुर्म धारा–304, 338 भा.दं.सं. व 3/25 (9)/30 आ.अधि. से अवगत कराते हुए समय करीब 00.50 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। नावक्त होने के कारण कोई गवाह उपलब्ध नहीं हो सका। दौराने गिरफ्तारी व बरामदगी मा. सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के कारण बंदूक व लाइसेंस को एक कपड़े में रखकर सिलकर सील मुहर किया गया। नमूना मुहर तैयार किया गया। गिरफ्तार शुदा व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना थाने पहुंचकर विशेष माध्यम से उसके परिवारीजन को भेजी जायेगी। फर्द मौके पर पर्याप्त टार्चों की रोशनी में लिखकर हमराहीन को पढ़कर सुनाकर गवाही हेतु हस्ताक्षर बनवाये गये। फर्द की कार्बन कापी अभियुक्त को देकर अलामात बनवाये गये।

21. अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिनांक–06.02.2023 को बहवाले रपट संख्या–08 समय 03.45 बजे थाने से रवाना होना दर्शित किया गया है, परंतु रवानगी की जी.डी. साबित नहीं करायी गयी है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी अलाबास बातरी रोड पर दर्शित की गयी है, परंतु कोई भी स्वतंत्र साक्षी संयोजित नहीं किया गया, जबकि गिरफ्तारी स्थल एक सार्वजनिक स्थल है, जहाँ पर जनता का निर्बाध रूप से आवागमन बना रहता है। पुलिस पार्टी यदि चाहती तो आस–पास के निवासीगण ग्राम चौकीदार, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य या सभासद को स्वतंत्र साक्षी के रूप में संयोजित कर सकती थी, परंतु ऐसे किसी प्रयास का कोई उल्लेख अभियोजन कथानक में नहीं है। विधि व्यवस्था **विजय पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2019 (2) ए.डी.सी.सी. 9505 एस.सी.** के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि यह बिल्कुल ही असंभव तथ्य है कि ग्रामीण आवासीय क्षेत्र में

कोई स्वतंत्र गवाह पुलिस के प्रयास करने पर भी उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार **विधि व्यवस्था जयसिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 1996, सी.आर.एल.जे. 1859,** के वाद में माननीय पंजाब–हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि जहाँ कोई स्वतंत्र साक्षी संयोजित नहीं किया गया हो वहाँ बरामदगी की कार्यवाही संदिग्ध हो जाती है। प्रस्तुत प्रकरण में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट उपलब्ध है, जिसके पेज नं.–2 पर परीक्षण परिणाम में फायरिंग के अवशेष की उपस्थित डिटेक्ट न होना अंकित है। अभियोजन की ओर से उक्त रिपोर्ट को साबित भी नहीं कराया गया है।

22. इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से जो भी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया है, उसके आधार पर यह तथ्य संदेह के परे साबित नहीं होता है कि दिनांक–05.02.2023 को समय 15.30 बजे अभियुक्त विशाल द्वारा अपनी माँ/अभियुक्ता रजनी देवी की लाईसेंसी डी.बी.बी.एल. गन 12 बोर से 21 वर्ष से कम आयु में हर्ष फायरिंग की गयी और उक्त फायरिंग की गोली से राजकुमार को घायल कर जीवन संकटापन्न किया और उक्त फायरिंग से शरद शर्मा उर्फ लाला की मृत्यु कारित की गयी तथा विशाल की जामा तलाशी से एक अदद लाईसेंसी डी.बी.बी.एल. गन 12 बोर व दो खोखा कारतूस फंसे हुए बरामद किये गये।

23. विधि व्यवस्था **धनपाल बनाम राज्य द्वारा पब्लिक प्रोसीक्यूटर मद्रास 209(67) ए.सी.सी. 697 सु.को.** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि जहां अभियोजन साक्ष्यों से दो न्यायोचित मत अथवा दो सम्भावनाऐं निकलती है तो न्यायालय को अभियुक्तगण के पक्ष में निकले हुए मत पर विश्वास करना चाहिए। विधि व्यवस्था **धर्मेन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2010 (70) एस.सी.सी. 817 इलाहाबाद** के वाद में यह मत व्यक्त किया गया है कि आपराधिक विचारण में अपराध को युक्तियुक्त रूप से संदेह के परे साबित करने का भार सदैव अभियोजन पक्ष पर होता है। विधि व्यवस्था **विजय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1990 सी.आर.एल.जे. 1510 सु.को.** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि आपराधिक मामले में अपराध को साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है, जब तक अभियोजन केस को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं करता है तब तक अभियुक्तगण के निर्दोष होने की उपधारणा की जायेगी। विधि व्यवस्था **के.एन. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य ए.आई.आर.1962 सु.को. 605** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि आपराधिक मामले में अपराध को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है और जब तक अभियुक्तगण के विरूद्ध युक्तियुक्त रूप से संदेह के परे दोष साबित न हो जाये तब तक उसके निर्दोष होने की उपधारणा की जायेगी। विधि व्यवस्था **शम्भूनाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य ए.आई.आर. 1956 सु.को.404** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि अभियोजन कथानक को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, उसके आधार पर अभियुक्त विशाल के विरूद्ध धारा–304, 388 भा.दं.सं. व धारा 3/25, 9 सपठित धारा 25(9) आयुद्ध अधिनियम एवं अभियुक्ता श्रीमती रजनी देवी के विरूद्ध धारा–30 आयुद्ध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप संदेह से परे साबित नहीं है और अभियुक्त विशाल धारा–304, 388 भा.दं.सं. व धारा 3/25, 9 सपठित धारा 25(9) आयुद्ध अधिनियम

तथा अभियुक्ता श्रीमती रजनी देवी धारा–30 आयुद्ध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

24. प्रस्तुत **सत्र वाद संख्या–3600/2023,** राज्य बनाम विशाल आदि, मुकदमा अपराध संख्या–17/2023, थाना बी.बी.नगर, जिला बुलन्दशहर में अभियुक्त विशाल को धारा–304,388 भा.दं.सं. व धारा 3/25,9 सपठित धारा 25(9) आयुद्ध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा अभियुक्ता श्रीमती रजनी देवी को धारा–30 आयुद्ध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

25. अभियुक्तगण विशाल एवं रजनी देवी न्यायालय के समक्ष जमानत पर उपस्थित है। उनके जमानतनामे निरस्त कर प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

26. अभियुक्तगण विशाल एवं रजनी देवी को निर्देशित किया जाता है कि वह धारा–437(ए)1 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में आज से 06 माह की अवधि के लिये अंकन 50,000–50,000/–रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इन्हीं धनराशि के दो–दो नवीन प्रतिभू अंदर सप्ताह इस आशय का दाखिल करे कि वह माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर उपस्थित होते रहेंगे।

दिनांक–14.07.2026

(धीरेंद्र कुमार–III)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.–1,
बुलन्दशहर।
आई.डी.नं.6145

27. आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–14.07.2026

(धीरेंद्र कुमार–III)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं.–1,
बुलन्दशहर।
आई.डी.नं.6145

गगनदीप–आशुलिपिक